संख्या-142 /2016 / 910 / चार-2016 -30 (बजट)/2014

प्रेषक,

सूर्यमणि लालचन्द,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त , 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा के जसवन्तनगर में पंचवटी भवन के जीर्णोद्धार /निर्माण आदि कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 1841/सं0नि0-6(70)/2013-14 दिनांक 26 अक्टूबर 2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा के जसवन्तनगर में पंचवटी भवन के जीर्णोद्धार /निर्माण आदि कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 विधायन एवं सहकारी संघ लि0 द्वारा धनराशि रू0 492.33 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया है । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर,2015 के निर्देशानुसार प्रायोजनाओं के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-4110/चार-2015-131(वि)/2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 492.33 लाख निर्धारित की गयी है।

2- अत: इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 विधायन एवं सहकारी संघ लि0 के शासनादेश संख्या-3754/चार-2015-30(बजट)/2014 दिनांक 03 सितम्बर 2015 को निरस्त करते हुए उक्त कार्य हेतु अब उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, इटावा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-786/पी0सी0एल0/महाप्र0 जोन-7/संस्कृति विभाग दिनांक 31 मई 2016 के क्रम में वर्तमान कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा अनुमोदित दरो एवं शर्तो पर उक्त कार्य करने पर सहमत है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा के जसवन्तनगर में पंचवटी भवन के जीर्णोद्धार /निर्माण आदि कार्यो हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 492.33 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो आगणन के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

(4) उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किये जाये जब कि स्वीकृति आगणन के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों को बनाकर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, संस्कृति निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यो को निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्देशन व उनके परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे।

(4) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था को प्रस्तावित कार्य का डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना होगा तथा शासन से अनुमोदन के उपरान्त सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत किया जाना उपयुक्त होगा।

(7) उपर्युक्त कार्यवाही करने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित धनराशि कार्य में उपभोग कर सकेगी।

(8) कार्य सम्पादन के उपरान्त प्रस्तावित मदों में बचत की धनराशि शासन को समर्पित करना होगा।

(9) प्रारम्भिक आगणन से भिन्न कार्य अनुमन्य नहीं होंगे।

(10) प्रस्तावित कार्य की मात्रा में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कार्य में द्विरावृत्ति न हो।

3 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनागत पक्ष के 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-04-जसवन्तनगर इटावा में पंचवटी भवन का जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्यमणि लालचन्द)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या -142 /2016 / 910 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- महाप्रबन्धक, जोन-7, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 गोमती नगर, लखनऊ।

5- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 इटावा।

6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।